

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)



(खण्ड 26 में अंक 31 से 34 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद विक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

विषय-सूची

पंचदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2012/1934 (शक)

अंक 33, सोमवार, 21 मई, 2012/31 वैशाख, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 621 से 624	2-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 625 से 640	31-93
अतारांकित प्रश्न संख्या 7131 से 7360	93-489
सभा पटल पर रखे गए पत्र	489-506
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	506
रेल संबंधी स्थायी समिति	506-507
(एक) 15वां और 16वां प्रतिवेदन	506-507
(दो) विवरण	507
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	507
179वां और 180वां प्रतिवेदन	507
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	508
51वां और 52वां प्रतिवेदन	507-508
मंत्री द्वारा वक्तव्य	508
रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ए.के. एंटनी	508
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	508
राजस्थान के झुंझनू और चुरु जिलों में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	
श्री शीश राम ओला	509
श्री जयराम रमेश	509-533
कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	533

सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित.....	533
(i) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012	534
(ii) अनुसंधान और नव प्रवर्तन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012	534-535
सदस्यों द्वारा निवदेन.....	542-556
क्रिकेट संगठनों में कथित अनियमितताओं और उन संगठनों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की आवश्यकता के बारे में	
नियम 377 के अधीन मामले	556
(एक) पश्चिमी ओडिशा में विमान सुविधा उपलब्ध कराए जाने और राज्य में झारसुगुडा विमानपट्टी का नवीकरण और स्तरोन्नयन भी किए जाने की आवश्यकता	
श्री हेमानंद बिसवाल	557
(दो) केरल के मावेलीकारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोटारकारा शहर में रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	557-558
(तीन) गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में पाकिस्तानी हिन्दुओं, सिखों और सिंधियों के आगमन पर से प्रतिबंध हटाए जाने और दीर्घावधि वीजा पर गुजरात में पहले से रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता।	
श्री जगदीश ठाकोर	558
(चार) रिवेम्प सेंट्रल रोड फंड स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु में सदरास-चेंगलपट्टू-कांचीपुरम-आराकोनम-तिरुतनी रोड के 33/8 से 36/8 कि.मी. खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. विश्वनाथन	558-559
(पांच) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में पिपरमिट बोर्ड आफ इंडिया का गठन और स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. संजय सिंह	559-560
(छह) महाराष्ट्र के नागपुर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	560-561
(सात) राजस्थान के भरतपुर के लोहागढ़ में स्थित ऐतिहासिक किले के संरक्षण और संरक्षा के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन सिंह	561-562
(आठ) गुजरात के अमरेली जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यालय भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री नारनभाई काछड़िया	562

(नौ)	मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता	
	श्री के.डी. देशमुख	563
	(दस) उत्तर प्रदेश के आगरा में औद्योगिकी इकाईयों को प्राकृतिक गैस के पारेषण पर टी.डी.एस. समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. रामशंकर	564
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	564-565
(बारह)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत समाज कल्याण की योजनाओं को समान रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती ऊषा वर्मा	565
(तेरह)	उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से मेरठ तक रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में बदले जाने तथा इसका दोहरीकरण किए जाने और सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री जगदीश सिंह राणा	566-567
(चौदह)	देश में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री कौशलेन्द्र कुमार	567
(पन्द्रह)	कच्ची ईंटों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ई. जी. सुगावनम	567-568
(सोलह)	ओडिशा के मयूरभंज जिले में बड़ीपाड़ा में प्रस्तावित राष्ट्रीय छारु नृत्य केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण टुडू	568-569
(सत्रह)	गंगा और यमुना नदियों में जल प्रवाह अनुरक्षण और जल प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता	
	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	569
(अठारह)	असम में रंगिया-मुरकोंगेसिली रेलवे लाईन के आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने तथा कामाख्या और तेजपुर एवं रंगिया और तेजपुर के बीच प्रस्तावित दो नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री जोसेफ टोप्पो	569-570
राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011		
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	570

श्री अजय माकन	570
श्री कीर्ति आज़ाद	573-580
श्री निनोंग ईरींग	580-584
श्री शैलेन्द्र कुमार	584-586
श्री रमाशंकर राजभर	586-591
श्री अर्जुन राय	591-595
श्री आर. थामराईसलवन	595-597
श्री ए. सम्पत	597-601
श्री लालू प्रसाद	601-609
खंड 2 से 46 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	610-615
नियम 193 के अधीन चर्चा	616
केन्द्र-राज्य संबंध	616-617
श्री बसुदेव आचार्य	617-628
श्री मनीष तिवारी	628-637
श्री अनंत कुमार	637-645
आधे घंटे की चर्चा	645
कृषि व्यवसाय	645
श्री अर्जुनराम मेघवाल	645-650
श्री शैलेन्द्र कुमार	650-651
श्री जगदीश शर्मा	651-652
श्री के.डी.देशमुख	652-653
श्री प्रबोध पांडा	653-656
श्री हरीश रावत	656-663
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	685-686
अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	686-696
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	697-698
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	698-700

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

डा. एम. तम्बिदुरई

डा. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

2009-10	01	0.0287
2010-11	01	0.10
2011-12	02	0.0058
		0.007
2012-13	01	0.07
30-04-2012)		

“ ”

‘ ’

()

2009-10	25920.48	13411.91
2010-11	31444.55	15443.01
2011-12	24184.95	19675.73

1	2	3
	<u>-17</u>	30-3-2010
	(2)	09-07-2011
		(5)
		15-01-2002
		19-12-2005
		28-01-2006
		29-06-2006
		28-07-2006
	-16	03-07-2004
	(2)	05-07-2005
	(1)	12-03-2002

1	2	3
	(2)	25-01-2012
		28-03-2012
	(3)	03-11-2006
		21-02-2008
		30-03-2009
	-25	30-01-2004
	(1)	
	(10)	09-01-2009
		09-01-2009
		30-07-2009
		30-07-2009
		20-05-2010
		20-05-2010
		25-08-2010
		19-04-2011
		27-05-2011
		09-08-2011
	(2)	12-01-2004
		31-03-2004
	(1)	24-11-2011
	(2)	12-05-2008
		19-01-2009
	(5)	30-09-2005
		24-01-2006
		21-04-2006
		30-06-2006
		30-09-2006
90	(2)	28-02-2010
		17-11-2010
	() (1)	2012

	-17	1
	-15	3
	-15	4
	-75	6
	28	4
	()	6
	()	8
		4
105	()	6
90	()	1
	()	4
	()	8
50	()	3
25	()	3

“ ”

	2009-10	2010-11	2011-12	
1.	-	10.100	10.00	20.100
2.	1.3	21.425	22.50	45.225
3.	-	22.725	22.50	45.225
4.	1.4	21.325	22.50	45.225
5.	1.3	21.425	22.50	45.225
	4.00	97.00	100.00	201.00

“ ”

		2009 ()		2010 ()		
1	2	3	4	5	6	7
	21	951456764	1325094	17	244090139	309577
	-	-	-	3	0	189338
	11	1355200	100599	-	-	-
	2	0	104399	-	-	-
	12	0	26230	12	17409100	36666
	-	-	-	-	-	-
	24	142996500	69467	28	212491000	57536
	9	0	194564	11	0	141461
	12	551601000	26345	7	594660000	44902
	-	-	-	-	-	-
	1	0	112	1	0	110000
	11	92400000	75595	18	288909000	131179
	39	21521750	368266	29	0	351374
	5	0	23885	9	4785720	68096
	6	0	986700	15	0	99294

1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	0	416
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1	368000000	8005	3	18024491	10222
	17	3841477400	372652	14	15121000	172463
	-	-	-	-	-	-
	53	0	514065	89	0	1170973
	-	-	-	-	-	-
	3	0	25609	5	30890600	12742
	3		24211	2	0	15479
	161	0	9050939	163	244981436	15010005
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	2	369000	622
	391	5970808614	13296719	429	1671731486	17932345

2011 ()

2012 () ()

1	8	9	10	11	12	13
	21	241918375	372108	4	36435685	36378
	2	0	88248	1	0	17479

1	8	9	10	11	12	13
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1	240000	254	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	28	2104208519	43439	-	-	-
	5	0	120018	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	16	1584352960	116490	1	35000000	5790
	31	292826000	381818	-	-	-
	2	263095634	107379	-	-	-
	3	0	47617	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2	270528550	16850	-	-	-
	1	98730512	34255	-	-	-
	14	16191832	140208	4	3939180	23859
	-	-	-	-	-	-
	63	9000000	3347206	21	0	254052
	-	-	-	-	-	-
	2	77265000	12455	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4	0	62350	-	-	-

1	8	9	10	11	12	13
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4	67779828	24018	1	0	90
	199	5026137210	4914713	32	75374865	337648

() =

0 =

- =

1	2	3	4	5	6	7
1.		/649	167.83		108.56	59.27
2.		/651	234.53		120.87	113.66
3.		/657	140.08		66.30	73.78
4.		/665	173.80	-1	109.19	64.61
5.		/670	215.28		77.11	138.17
6.		/676	301.90		238.46	63.44

1	2	3	4	5	6	7
7.		/799	510.75		199.16	311.59
8.		/816	477.82		296.98	180.84
9.		/819	84.49		11.57	72.92
10.		/820	71.14		36.09	35.05
11.		/823	309.92		240.60	69.32
12.		/824	188.55		89.03	99.52
13.		/827	53.21		49.52	3.69
14.		/836	155.56		96.29	59.27

1	2	3	4	5	6	7
15.		/843	238.58		203.96	34.62
				/21(39) 03/ 28-03-2008	/109620	
16.		/850	128.59			23.96
17.		/852	139.58		37.39	102.19
18.		/853	344.24		202.88	141.36
19.		/854	116.49		91.28	25.21
20.		/858	248.29		166.73	81.56
21.		/859	47.83		21.79	26.04

1	2	3	4	5	6	7
22.		/879	71.45		46.65	24.8
23.		/880	481.86		290.60	191.26
24.		/887	23.87		10.60	13.27
25.		/889	368.52		91.40	277.12
26.		/910	90.93		17.00	73.93
27.		/911	291.03		151.68	139.35
28.		/913	566.89		355.76	211.13
29.		/916	116.53		26.58	89.95
30.		/952	157.34		12.61	144.73
31.		/956	203.59		170.40	33.19

1	2	3	4	5	6	7
32.		/977	251.03		128.23	122.8
33.		/981	352.83		265.51	87.32
34.		/982	185.85		108.28	77.57
35.		/984	24.52		12.74	11.78
36.		/999	222.55		172.01	50.54
37.		/1009	460.31		288.64	171.67
38.		/1011	372.42		66.94	305.48
39.		/1081	287.74		104.68	183.06
40.		/1082	220.59		71.61	148.98

1	2	3	4	5	6	7
41.		/1083	548.13		31.62	516.51
42.		/1085	25.92		0.00	25.92
43.		/1427	229.58		152.01	77.56
44.		/1432	72.11		50.35	21.76
45.		/1465	210.67		104.60	106.07
46.		/1488	139.06		95.63	43.43
47.		/1492	246.91		1.72	245.19
48.		/1499	54.51		1.84	52.67
49.		/1595	252.79		231.58	21.21

1	2	3	4	5	6	7
50.		/3385	50.03		11.20	38.83
51.		/8256	13.89		0.00	13.89
52.		/13625	58.13		4.40	53.73
53.		/16503	96.11		77.75	18.36
54.		/32071	49.45		35.95	13.5
55.		/32102	72.41		61.43	10.98
56.		/32137	6.09		0.29	5.8
57.		/1092	338.52		122.56	215.96
58.		/32941	1.16		0.79	0.37
59.		/683	-	-	-	7

1	2	3	4	5	6	7
60.		/32078	-	-	-	7
61.		/1402	-	-	-	7
62.		/970	-	-	-	7
63.		/32210	-	-	-	7
64.		/964	-	-	-	7
65.		/946	-	-	-	7
66.		/851	-	-	-	7
67.		/32623	-	-	-	7

1	2	3	4	5	6	7
68.		/32618	-	-	-	7
69.		/973	-	-	-	7
70.		/929	183.70	-1, -25,	.	80.32 103.38
71.		/11738	9.76		0	9.76
72.		/885	25.65	-5, 25	.	0 25.65
73.		/936	84.54		46.6	37.94
74.		/1037	94.30		25.16	69.14
75.		/1576	105.77	-5, 25	.	14.84 90.93
76.		/698	41.58		2.35	39.23
77.		/30243	35.38		2.44	32.94
78.		/998	24.39		0	24.39
79.		/1038	39.58	-1, 25	0	39.58
80.		/1369	10.55		5.6	4.95
81.		/1351	24.36		24.27	0.09

1	2	3	4	5	6	7
82.		/30244	8.69		0.75	7.94
83.		/30242	8.92		4.82	4.1
84.		/1321	11.36	-1, 5, 25	4.33	7.03
85.		/30489	2.81	-1, 5, 25	0	2.81
86.		/31631	0.86	-1, 5, 25	0.15	0.71
87.		/1596	6.71	-1, 5, 25	6	0.71
88.		/1357	96.89	-1, 25, 26, 8	37.42	59.47
				406/409		
89.		/655	42.10		0	42.1
				109620	/21(39)03/ 28-03-2008	/
90.		/1066	86.50	-1, 25, 26, 8	83.16	3.34
				406/409		
91.		/1044	50.57	-1, 25, 26, 8	45.79	4.78
				406/409		
92.		/1331	69.40	-1, 25, 26, 8	43.69	25.71
			12628.14		6371.72	6256.42

30.00	6-10%
0.50	5%
0.50	5%
2.00	6%
0.50	5%
0.50	4%
10.00 (4%
	(0.50%
20.00	

()

2009-10 2011-12

1.	199.64	838
2.	86.14	227
3.	2473.86	2093
4.	716.95	802
5.	24.94	7
6.	6211.84	14716
7.	914.89	1000
8.	699.40	1426
9.	1383.65	1398
10.	513.65	836
11.	9954.37	40129
12.	1477.00	3079
13.	10928.51	27629
14.	19.80	18

15.	189.68	253
16.	1059.55	1121
17.	3890.38	7655
18.	367.31	301
19.	734.72	1006
20.	1459.01	2587
21.	108.45	107
22.	7992.18	43255
	51405.92	150483

“

”

“ “ ” “ ”

	()	(:)
(i)	75 : 25	90 : 10
(ii)	80 : 20	90 : 10
(iii)	80 : 20	90 : 10

•

•

“ ”

•

“ ” “ ”

•

•

•

•

1	2	3	4
1.		83,841	20,000
2.		167	4,000
3.		24,752	15,000
4.		462	10,000
5.		243	1,500
6.		23	500
7.		0	0
8.		147	1,000
9.		23	1,000
10.		78	1,000

1	2	3	4
11.		3,783	1,000
12.		27	3,000
13.		9,449	8,000
14.		7,441	10,000
15.		56	1,000
16.		138	1,000
17.		1,429	10,000
18.		289	500
19.		100	1,000
20.		156	2,000
21.		10,345	15,000
22.		565	100
23.		2	50
24.		770	1,000
25.		9	350
26.		21,730	20,000
27.		297	1,000
28.		3,259	20,000
29.		183	1,000
30.		1,36,521	10,000
		3,06,285	1,60,000

“ ”

()

2008-09	1439.88	370.17	1810.05
2009-10	1573.32	275.94	1849.26
2010-11	2333.62	332.51	2666.13
2010-11 (-)	1946.80	274.93	2221.73
2011-12 (-)*	1268.32	294.94	1563.26

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
8268	10599	11397	11123	12633

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
37.16	25.63	35.62	27.85

1	2	3
1.		2555
2.		2611
3.		2157
4.		2265
5.		1556
6.		1836
7.		1560
8.		3270
9.		3092
10.		3547
11.		1192
12.		996
13.		1580
14.		2752
15.		1900
16.		26
17.		2495

1	2	3
18.		978
19.		615
20.		1960
		38943
21.		481
22.		810
23.		578
24.		456
25.		244
26.		271
27.		528
28.		224
		3592
		42535

2	70.82
	70.07
1	83.00
1	79.54
6	88.50
	88.09
	75.28
	74.77
	70.99
	70.82
2	77.07
	71.91
1	78.63
2	73.68
	72.33
1	75.08
1	71.26
5	83.88
	78.41
	77.44

1	2	3	4
		नवी मुम्बई	73.77
		तारापुर	72.01
ओडिशा	3	अंगुल तलचर	82.09
		आईबी वैली	74.00
		झरसुगुडा	73.34
पंजाब	2	लुधियाना	81.66
		मंडी गोविन्द मढ़	75.08
राजस्थान	3	भिवाड़ी	82.91
		जोधपुर	75.19
		पाली	73.73
तमिलनाडु	4	वेल्लोर	81.79
		कुडालोर	77.45
		मनाली	76.32
		कोयम्बटूर	72.38
उत्तर प्रदेश	6	गाजियाबाद	87.37
		सिंगरोली	81.73
		नोएडा	78.90
		कानपुर	78.09
		आगरा	76.48
		वाराणसी-मिर्जापुर	73.79
पश्चिम बंगाल	3	हल्दिया	75.43
		हावड़ा	74.84
		आसनसोल	70.20

[हिन्दी]

एन.ई.ई.आर.आई. द्वारा प्रस्ताव

7180. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के प्रमुख शहरों में प्रदूषण

के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने तथा इस संबंध में उपाय करने के लिए नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एन.ई.ई.आर.आई.) से सुझाव प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

()

(-)

1.		11/2010	4,540.69	837.17	3,703.52
2.		12/2010	180.12	79.69	100.43
3.		12/2010	35.33	23.94	11.39
4.		01/2011	747.59	112.60	634.99
5.	01/2011		21.12	16.03	5.09
6.		3/2011	915.20	128.47	786.73
			6,440.05	1,197.90	5,242.15

()

(-)

1.		08/2011	180.00	113.00	67.00
2.		08/2011	45.00	26.50	18.50
3.			68.25	49.05	19.20
	10/11				
4.		10/2011	61.70	58.00	3.70
5.		11/2011	5,000.00	1,097.00	3,903.00
6.	01/2012		33.00	30.40	2.60
7.		3/2012	1,000.00	176.00	824.00
			6,387.95	1,549.95	4,838.00

()

1	2	3
1.	04/09	92.71
2.	04/09	86.27
3.	04/09	1.36
4.	04/09	6.28
5.	04/09	9.62
6.	04/09	8.81
7.	04/09	12.72
8.	04/09	93.23
9.	05/09	2.17
10.	05/09	9.35
11.	05/09	10.73
12.	05/09	21.62
13.	05/09	3.28
14.	05/09	14.36
15.	05/09	4.32
16.	05/09	6.89
17.	06/09	21.50
18.	06/09	35.85
19.	06/09	10.75
20.	06/09	13.85
21.	06/09	9.29
22.	06/09	8.34
23.	06/09	1.36

1	2	3
24.		06/09 10.63
25.		06/09 4.83
26.	06/09	6.72
27.	07/09	106.18
28.	07/09	138.34
29.	07/09	17.57
30.	07/09	57.09
31.	07/09	19.56
32.	07/09	14.43
33.	07/09	3.69
34.	07/09	7.77
35.		07/09 17.76
36.	07/09	9.53
37.		07/09 3.22
38.	07/09	130.71
39.	07/09	2.05
40.	08/09	1.48
41.		08/09 164.74
42.		08/09 114.30
43.	08/09	68.25
44.	08/09	24.71
45.	08/09	3.01
46.		08/09 70.14
47.	08/09	3.97
48.	09/09	173.83
49.	09/09	14.80
50.	09/09	49.72
51.	09/09	42.76

1	2	3
52.	09/09	46.94
53.	10/09	178.79
54.	10/09	34.68
55.	2010	145.32
56.	10/09	25.29
57.	10/09	104.30
58.		202.77
59.	10/09	5.51
60.	10/09	3.92
61.	11/09	21.72
62.	12/09	107.52
63.	12/09	152.23
64.	12/09	105.92
65.	12/09	218.37
66.	12/09	79.99
67.	12/09	195.52
68.	12/09	55.18
69.	12/09	13.78
70.	12/09	5.87
71.	12/09	22.17
72.	12/09	23.42
73.	12/09	68.30
74.	12/09	8.04
75.	2009 12/09	0.40
76.	01/10	1,161.21
77.	01/10	82.79
78.	01/10	199.40
79.	01/10	52.72

1	2	3
80.	01/10	30.46
81.	01/10	2,413.61
82.	01/10	79.83
83.	02/10	4.53
84.	02/10	25.68
85.	02/10	7.15
86.	02/10	1,013.21
87.	02/10	43.53
88.	02/10	24.73
89.	02/10	12.88
90.	02/10	143.75
91.	02/10	79.64
92.	03/10	142.23
93.	03/10	96.75
		9,206.50

1	2	3
1.	05/2010	6.64
2.	05/2010	11.61
3.	05/2010	9.14
4.	06/2010	5.53
5.	06/2010	7.41
6.	06/2010	6.23

1	2	3
7.		07/2010 132.14
8.	7/2010	8.74
9.	07/2010	7.25
10.	07/2010	6.32
11.		07/2010 85.82
12.	09/2010	109.29
13.		09/2010 23.19
14.	09/2010	24.73
15.	10/2010	274.17
16.		10/2010 38.36
17.		10/2010 15.07
18.		10/2010 58.61
19.		10/2010 28.58
20.		10/2010 300.42
21.	12/2010	200.12
22.		12/2010 128.42
23.	12/2010	169.78
24.	12/2010	411.42
25.	12/2010	180.51
26.		12/2010 93.39
27.		12/2010 11.16
28.		12/2010 120.28
29.		12/2010 54.98
30.	12/2010	70.23
31.	12/2010	41.4
32.	12/2010	118.73

1	2	3
33.	12/2010	10.99
34.	12/2010	12.47
35.	01/2011	118.09
36.	01/2011	123.95
37.	01/2011	47.22
38.	01/2011	50.84
39.	01/2011	13.51
40.	02/2011	285.21
41.	02/2011	254.49
42.	02/2011	76.82
43.	02/2011	216.82
44.	2011 2/2011	341.59
45.	02/2011	343.89
46.	02/2011	32.49
47.	2 2/2011	199.39
48.	02/2011	103.27
49.	02/2011	53.02
50.	02/2011	32.26
51.	2/2011	537.41
52.	02/2011	95.05
53.	03/2011	111.75
54.	03/2011	226.92
55.	03/2011	74.44
56.	03/2011	372.41
		6494.25

()

1	2	3
1.	04/11	189.67
2.	04/11	9.30
3.	04/11	167.18
4.	04/11	15.08
5.	04/11	31.61
6.	04/11	347.22
7.	05/11	18.15
8.	05/11	21.92
9.	05/11	17.45
10.	05/11	133.40
11.	05/11	34.72
12.	05/11	12.66
13.	05/11	7.64
14.	05/11	115.14
15.	05/11	41.51
16.	05/11	43.59
17.	06/11	12.53
18.	06/11	23.60
19.	06/11	6.66
20.	06/11	49.63
21.	06/11	40.98
22.	06/11	22.70

1	2	3
23.	07/11	11.23
24.	07/11	48.24
25.	07/11	22.75
26.	07/11	33.05
27.	07/11	176.37
28.	07/11	87.55
29.	07/11	20.24
30.	07/11	54.70
31.	07/11	51.40
32.	07/11	8.82
33.	07/11	4.35
34.	07/11	26.46
35.	07/11	44.09
36.	08/11	144.43
37.	08/11	430.76
38.	08/11	8.45
39.	08/11	22.06
40.	09/2011	146.33
41.	09/11	337.72
42.	09/11	164.06
43.	09/11	60.46
44.	09/11	253.70
45.	09/11	102.48
46.	09/11	53.53
47.	10/11	25.47
48.	10/11	6.34
49.	10/11	162.73

1	2	3
50.	10/2011	168.84
51.	10/11	361.08
52.	11/11	21.73
53.	11/11	187.85
54.	12/11	899.07
55.	12/2011	31.39
56.	12/11	145.95
57.	12/11	80.63
58.	12/11	204.27
59.	12/2011	68.72
60.	12/11	181.75
61.	12/11	122.99
62.	12/11	321.53
63.	12/11	21.88
64.	01/12	4,278.26
65.	01/12	14.30
66.	01/12	387.60
67.	02/12	105.02
68.	02/12	101.28
69.	02/12	93.86
70.	02/12	122.76
71.	02/12	96.02
72.	02/12	3,270.88
73.	02/12	13.94
74.	02/12	173.85
75.	02/12	309.72
76.	02/12	1,541.18

1	2	3
77.	03/12	232.80
78.	03/12	1,653.57
		19,082.83

1.		28-30, 2011
2.		29- 6, 2011
3.		29- 6, 2011
4.		12-15, 2011
5.		14-27, 2011
6.		, 2012
7.		12-16, 2012

1	2	3
1.		5-7, 2012
2.		2012
3.		2012
4.		2012
		()

1	2	3
5.		/ 2013 ()
6.		21-25. 2012
7.		2012 ()
8.		14-27, 2012
9.		2012 ()
10.		2012 ()
11.		25-4 , 2013
12.		2013 ()
13.		2013 ()
14.		-13
15.		
16.		

1.	011/1993	550000
2.	002/1999	1335000
3.	001/1964	185000
4.	002/1966	2762457

1.	002/1999	667500
2.	002/1966	133238
3.	002/1966	815000

1.	011/1993	867500
2.	002/1999	667500
4.	002/1966	3980000

1.	011/1993	935835
2.	002/1999	632345
		1568180

1.	002/1966	450000
----	----------	--------

/

1	2	3
1.		8,111.028
2.		39,562.976
3.		4,787.388
4.		25,493.313
5.		11,322,976
6.		176.247
7.		1,517.710
8.		0.000
9.		0.000
10.		11,549.033
11.		3,025.579
12.		25,002.941
13.		37,134.322
14.		8,096.945
15.		20,063.527

1	2	3
16.		7,713.620
17.		
	33,100.728	
18.		5,279.401
19.		39.847
20.		2,26,991.434
21.		1,39,468.944
22.		1,294.405
23.		4,029.738
24.		0.212
25.		551.284
26.		18,015.717
27.		20.381
28.		82,085.755
29.		8,21,000.900
30.		3,478.818
31.		21,117.347
32.		2,679.505
33.		26,054.118

1	2	3
34.		1,23,889.318
35.		41,419.202
		17,54,074.661

20-

11895.28	11458.31	-
0.25	0.01	-
1492.24	1466.88	-
0.19	0.14	-

21-

	33999.75	37336.05	3336.30
	0.25	0.36	0.11
22-	62137.94	65001.95	2864.01
	61.08	32.20	
23-	10002.52	10141.37	138.85
	7.45	3.33	
24-	15802.41	15177.70	-
	2.13	0.93	
25-	1998.34	1073.42	-
	3.65	4.81	1.16
26-	5274.66	5230.88	-
	0.76	0.62	
27-	60776.21	62011.53	1235.32
	59.68	44.47	

()

2009-10	*	1830.23
2010-11	2200.00	2301.52
2011-12	2700.00	2705.56

()

2009-10	*	125.81
2010-11	1350.00	1688.62
2011-12	2250.00	2252.31

()

2009-10	*	525.87
2010-11	650.00	653.86
2011-12	800.00	808.24

		2008*	2009	2010	08/2010	08/2011
1	2	3	4	5	6	7
		11782	185155	335939	211253	362396
63026010		0	33629	115886	75868	156111
63049241		0	31043	39570	24116	25165
63049281		0	23922	31814	20749	17156
63022110		0	18510	23967	16013	17013
63049291		0	12825	22222	14320	16257
63049231		0	15957	20990	13816	9585
63041940		0	3330	13112	8381	17319
63049221		0	10997	12559	8220	6630
63029110		0	5274	10789	7061	8476
57050042		0	7662	10365	6154	39977
50079010		0	1273	7452	2443	2809
63025110		0	4985	6931	3797	7248
57050024		0	784	4960	2530	9843
52091119		10329	7962	4730	3453	4816
63049991		0	1549	4431	1053	1710
52084921		0	1264	1920	1001	1623

1	2	3	4	5	6	7
63049992		0	580	810	536	756
63049211		0	351	721	115	529
52091111		1241	926	652	531	520
57024230		0	59	424	72	5875
62141030		0	96	352	157	377
52083121		0	600	282	256	184
52084121		0	12	233	228	0
52095111		0	231	153	115	57
52091112		158	157	147	126	95
62160020		0	3	140	47	348
63071030		0	797	129	20	11886
58021950		0	0	97	29	0
52091114		21	358	46	21	2
52091113		33	10	45	17	28
52085920		0	7	10	9	1
51129050		0	2	0	0	0

()

()

	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4

.

	1	2	3	4
1.		2270.48	2683.89	3454.01
2.		172.78	210.95	290.39
3.		62.07	97.86	131.62
		2505.33	2992.70	3876.02
% (-/+)		(-)7.50	(+)19.45	(+)29.52
.				
1.		1877.64	2199.92	2603.27
2.		717.24	1021.05	1560.50
3.		1173.38	1398.37	1655.04
4.		3116.85	3570.12	3922.57
5.		131.74	181.98	254.30
6.		184.96	216.31	239.81
7.		245.83	359.47	575.33
8.		1271.30	1586.74	2164.43
		8718.94	10533.96	12975.25
% (-/+)		(+)6.55	(+)20.82	(+)23.18
	(+)	11224.27	13526.66	16851.27
% (-/+)		(+)3.05	(+)20.51	(+)24.58

()

		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.		340.00	460.00	426.00
2.		220.00	245.00	286.00

1	2	3	4	5
3.		115.00	313.00	320.00
4.		10.00	18.00	18.00
5.		15.00	13.50	15.00
6.		50.00	115.50	150.00
.				
1.		3140.00	3100.00	2400.00
2.		397.00	347.00	400.00
3.		70.00	54.00	80.00
4.		16.50	10.00	5.00
5.		60.00	0.00	141.00

1	2	3	4	5
I.				
1.		1.40	1.61	0.21
2.		0.24	0.28	0.04
3.		5.08	5.84	0.76
4.		7.00	8.05	1.05
5.		0.45	0.52	0.07
6.		0.44	0.51	0.07

1	2	3	4	5
7.		3.20	3.68	0.48
8.		11.22	12.90	1.68
9.		7.70	8.86	1.16
10.		8.00	9.20	1.20
11.				
	(i)	0.26	0.30	0.04
	(ii)	0.20	0.23	0.03
	(I)	45.19	51.97	6.78
II.				
1.				
	(i)	20.00	23.00	3.00
	(ii)	1.3	1.50	0.20
	(iii)	19.0	21.85	2.85
		40.3	46.35	6.05
2.		2.8	3.22	0.42
3.		17.0	19.55	2.55
4.		0.1	0.12	0.02
	(II)	60.2	69.23	9.03
	(I + II)	105.4	121.20	15.81

1	2
	1690
	5281
	122
	624
	4035
	6068
	7
	1811
	12
	152
	1862
	3867
	59
	1346
	380
	325-375
	27669-27719

1	2
	72 (65-79)
	-
	143 (113-173)
	8 (-)
	26 (24-27)
	10 (6-14)

1	2
	28

1	2
	300 (280-320)
	71 (67-75)
	257 (213-301)
	168 (155-183)
	5
	32 (20-44)
	36 (35-37)
	70 (64-90)
	163 (153-173)
	227 (199-256)
	118 (113-124)
	1706 (1520-1909)
1.	297
2.	24
3.	7
4.	9
5.	21
6.	53
	411

1	2	3	4	
	364914	100.00	315622	100.00
	120399	32.99	107261	33.98
	11495	3.15	11454	3.63
	10920	2.99	10726	3.40
	8724	2.39	8629	2.73
	6285	1.72	5915	1.87
	4241	1.16	3724	1.18
	3906	1.07	3357	1.06
	3624	0.99	3126	0.99
	3437	0.94	2991	0.95

1	2	3	4	
	2985	0.82	2974	0.94
	3786	1.04	2919	0.92
	1557	0.43	1041	0.33
	253359	100.00	211054	100.00
	65361	25.80	59821	28.34
	10371	4.09	9155	4.34
	10447	4.12	9105	4.31
	7186	2.84	6510	3.08
	7373	2.91	6099	2.89
	7747	3.06	4850	2.30
	3675	1.45	3208	1.52
	3211	1.27	3002	1.42
	1563	0.62	1815	0.86
	1549	0.61	1359	0.64
	1090	0.43	1071	0.51
	185	0.07	243	0.12

1	2	3	4	5	6
3.		2.09	0.00	4.70	7.83
4.		2.37	0.00	2.49	2.06
5.		5.22	5.22	6.66	5.84
6.		2.42	0.00	0.00	0.00
7.		2.42	2.42	0.00	0.00
8.		3.12	0.00	6.24	10.14
9.		5.41	5.41	7.13	6.12
10.		59.57	59.57	68.00	64.00
11.		14.68	14.68	20.85	19.04
12.		5.70	5.70	6.27	5.27
13.		5.51	5.51	6.08	5.10
14.		5.22	5.22	7.18	6.29
15.		39.54	39.54	52.39	45.77
16.		9.26	9.26	18.52	16.62
17.		1.14	1.02	1.14	0.93
18.		14.06	14.06	22.16	19.40
19.		81.22	81.22	68.00	64.00
20.		9.14	9.14	17.90	18.00
21.		2.09	0.00	2.44	2.06
22.		12.73	12.73	16.26	14.28
23.		12.85	12.85	24.42	21.58
24.		49.10	49.10	67.27	59.27
25.		20.99	20.99	41.98	37.90
26.		5.51	5.51	6.02	5.08
27.		19.09	19.09	35.91	31.53
		412.00	398.65	552.00	506.00
1.		2.76	2.76	3.53	3.53

1	2	3	4	5	6
2.		13.83	13.83	27.66	29.41
3.		2.27	2.27	4.54	4.56
4.		9.17	9.17	11.61	11.61
5.		3.56	3.56	4.30	4.30
6.		2.20	2.20	3.63	3.63
7.		2.20	2.20	2.69	2.70
8.		8.01	8.01	10.04	10.25
		44.00	44.00	68.00	70.00
		456.00	442.65	620.00	576.00

•

•

•

•

•

•

1.	147,910
2.	29,872
3.	105,968
4.	9,757
5.	109,900
6.	1000
7.	153,297
8.	77,788
9.	261,914
10.	265,173
11.	150
12.	129,000
13.	6500
14.	45,500
15.	64,177
16.	156,850
17.	95,216
18.	20,209
19.	7,675
20.	11,838
21.	2500
	<hr/>
	1,693,094

2009-10	976.09	5298480
2010-11	1191.96	6454385
2011-12	1253.97	7921108

जल विज्ञान, जल प्रदूषण और विधिक मामलों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

[अनुवाद]

**वि-अधिसूचित जनजातियों के लिए
विदेश में शिक्षा में आरक्षण**

7246. श्री शेर सिंह घुवाया: क्या सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेश में स्नातक/मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों एवं पी.एच.डी. करने के लिए वि-अधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों) को आरक्षण दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) जी, हां। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति इत्यादि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपादीय छात्रवृत्ति की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियों के लिए दो सीटों सहित कुल 30 सीटें उपलब्ध हैं। इस योजना में (क) इंजीनियरिंग, (ख) प्रबंधन, (ग) विशुद्ध विज्ञान, (घ) कृषि विज्ञान और (ङ) चिकित्सा के क्षेत्रों में विदेश में स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम और पी.एच.डी. पाठ्यक्रम (स्नातक उपधि पाठ्यक्रमों के लिए नहीं) पढ़ने के लिए चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

कार्यों की आउटसोर्सिंग

7247. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों और निजी कंपनियों का काफी कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनियों जिन्हें कार्य आउटसोर्स किया गया है, द्वारा नियोजित उन व्यक्तियों के लाभ हेतु सामाजिक सुरक्षा/श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे आउटसोर्स कार्यों हेतु नियोजित व्यक्तियों की सेवा शर्तों और कल्याण उपबंधों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) आउटसोर्सिंग/ठेका श्रम प्रणाली स्वतः प्रतिषिद्ध नहीं है तथा कोई भी प्रतिष्ठान चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में, किसी कार्य में ठेका श्रमिक लगा सकता है जब तक कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान में कार्य विशिष्ट प्रतिषिद्ध न किया गया हो। केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है जबकि राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं तथा निजी कंपनियां राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आउटसोर्सड व्यक्तियों की संख्या, कार्य का प्रकार और आउटसोर्सिंग की अवधि परियोजना अथवा कार्य की मात्रा और समय-सीमा पर निर्भर करती है तथा कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के संबंध में, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय अपने क्षेत्र कर्मियों के माध्यम से अधिकांश श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठेका श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा पहलू कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रवृत्त किए जाते हैं बशर्ते कि जिन प्रतिष्ठानों में आउटसोर्सड कामगार कार्य कर रहे हैं वे उक्त अधिनियमों के अंतर्गत कवर किए गए हों।

(घ) से (च) आउटसोर्सड कामगारों की सेवा शर्तों की जांच नहीं की गई है तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र में, मंत्रालयों/विभागों आदि को सामान्य वित्तीय निगम (जी.एफ.आर.) के अंतर्गत सांविधिक और ठेकागत कर्तव्यों को अपनाना और उनका पालन करना पड़ता है। जी.एफ.आर. के नियम 180 (iv) में ठेकेदारों द्वारा सांविधिक और ठेकागत कर्तव्यों का पालन किया जाना शामिल करने का अनुबंध है। इसके अलावा, ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कामगार प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उत्पादन हेतु अनुरोध कर सकते हैं जहां ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत सेवा-शर्तें संतोषजनक न हों। केन्द्रीय

स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से आसनसोल-हल्दिया खंड में निरीक्षण करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति भेजी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्रालय प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है ताकि हल्दिया में रोके गए विकास कार्यों को पुनः आरंभ किया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने व्यापक पर्यावरण प्रदूषण तालिका (सी.ई.पी.आई.) के आधार पर पश्चिम बंगाल में आसनसोल और हल्दिया सहित अभिज्ञात अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों में स्थित होने वाली विकास परियोजनाओं के संबंध में ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के संदर्भ में पर्यावरणीय मंजूरी देने पर 13-1-2010 को अस्थाई रोक लगा दी थी।

(ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आसनसोल और हल्दिया के अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अपनी टीम प्रतिनियुक्त की थी।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में आसनसोल और हल्दिया सहित अभिज्ञात अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों के संबंध में, जहां मामले पर विचार किए जाने पर अभी भी रोक लगी हुई है, कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है।

महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत

7253. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु का निर्माण किस कंपनी ने किया था और इसका निर्माण किस तिथि को हुआ था तथा उपर्युक्त संदर्भ में परामर्शदाताओं के क्या नाम हैं;

(ख) उक्त पुल की प्रस्तावित जीवनावधि क्या है और समय से पूर्व इसके खस्ता हालत में होने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है;

(ग) इसकी मरम्मत पर कुल कितना व्यय हुआ है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है तथा इसका मरम्मत कार्य कब से जारी है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या इसकी मरम्मत का कार्य पूरा होने के पश्चात् यह पुल 100 टन का भार सहन कर पाएगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाजीपुर में चार लेन की सड़क और मुजफ्फरपुर से छपरा तक निर्माणाधीन सड़क के पूरा होने के पश्चात् यह पुल चलने वाले वाहनों के भार को सहन कर पाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विकल्प प्रदान किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) महात्मा गांधी सेतु का कार्य डिजाइन और निर्माण आधार पर मै. गैमन इंडिया लि. को वर्ष 1972 में सौंपा गया था। अपस्ट्रीम लेन का निर्माण वर्ष 1972 और 1982 के बीच किया गया था जबकि डाउनस्ट्रीम लेन का निर्माण वर्ष 1983 और 1987 के बीच किया गया था।

(ख) ठेके में पुल की जीवन अवधि निर्धारित नहीं थी। तथापि, पुलों का जीवन काल सामान्यतः 50 वर्ष तक होने की आशा की जाती है। पुल घटकों का डिजाइन उस समय प्रचलित मानकों के अनुरूप था जो कि आज की तारीख में सफल सिद्ध नहीं है। इसी प्रौद्योगिकी से निर्मित अन्य पुलों से भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

(ग) महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य पर 102.83 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। चुनिंदा स्पैनों के दृश्य अवलोकन के आधार पर क्षति के किए गए मूल्यांकन के आधार पर आधारित मरम्मत कार्य वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों के लिए लागत सहित अल्पकालिक और दीर्घकालिक मरम्मत एवं पुनरुद्धार उपाय सुझाने के

1	2	3	4	5	6
1.			88.09	530.01	III
2.			102.30	2125.40	V
3.			244.12	2388.00	III
4.			45.43	484.19	III
5.			122.88	1665.00	V
6.			182.18	624.20	III
7.			80.82	776.76	IV
8.			166.17	1410.00	III
9.			225.69	1895.45	IV
10.			150.40	1232.00	IV
11.			125.30	1055.00	IV
12.			321.00	2815.00	IV
13.			62.52	508.87	IV
14.			555.50	5387.30	V
15.			107.56	354.09	IV

1	2	3	4	5	6
16.			95.44	910.08	IV
17.			125.90	1043.51	IV
18.			125.44	1129.11	III
19.			64.60	606.00	III
20.			153.00	1220.32	IV
21.			120.03	1033.65	III
22.			112.00	1123.69	III
23.			93.29	790.00	III
24.			160.21	1573.00	V
25.			124.52	1207.00	V
26.			145.00	1266.60	III
27.			125.53	1216.03	IV
28.			127.13	940.00	IV
29.			48.60	283.25	III
30.			100.06	923.04	IV
31.			70.00	635.90	IV
32.			84.32	1818.47	IV
33.			103.59	1684.00	V
34.			121.00	912.00	III
35.			22.19	141.11	III
36.			79.31	942.45	IV
37.			111.40	471.05	I
38.			102.26	390.74	III
39.			125.62	778.15	IV

1	2	3	4	5	6
40.			104.77	934.93	III
41.			112.98	1635.33	III
42.			110.00	990.60	III
43.			220.00	2419.00	V
44.			275.22	2537.81	IV
45.			208.84	1968.57	IV
46.			89.00	772.41	IV
47.			121.00	1617.00	V
48.			59.00	863.00	V
49.			69.55	446.00	III
			6490.76	60475.07	

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ऐसे राज्यों को सड़कों के निर्माण और रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता रोकने का प्रस्ताव है जो माल परिवहन वाहनों के लदान मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें सड़कों के निर्माण और रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता से वंचित किया गया था;

(ग) क्या बाद में इन राज्यों को वित्तीय सहायता/प्रदान की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, अधिक भार लदान पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2003-04 में सात राज्यों अर्थात् हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा जो अधिक भार लदान वाले वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष टोकन/पास जारी कर रहे थे, के संबंध में सड़क निर्माण हेतु केन्द्रीय अनुदान रोक दिए गए। तत्पश्चात् इन राज्यों ने इस संबंध में संगत अधिसूचनाएं वापस ले ली थीं जिसके बाद सड़को के निर्माण/अनुरक्षण के लिए उन्हें निधियां जारी कर दी गईं।

[हिन्दी]

आयात-निर्यात स्थिति

7262. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011-12 के दौरान निर्यात आंकड़ों को उक्त अवधि के दौरान किए गए वास्तविक निर्यात की तुलना में बहुत अधिक दिखाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काले धन के उपयोग सहित ऐसे मामलों में कोई अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों को किए गए निर्यात में अत्यधिक या असामान्य वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच शुरु की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार द्वारा मासिक रूप से अनंतिम व्यापार आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगस्त, 2011 के दौरान निर्यात आंकड़ों में कुछ विसंगतियां पाई गई थीं और मामले की तत्काल विस्तृत जांच की गई थी। यह पाया गया कि दैनिक सौदा रिपोर्ट (डी.टी.आर.) तैयार करते समय कुछ सौदा रिकॉर्डों की पुनरावृत्ति हो गई थी। इस तकनीकी गलती के कारण कुछ आंकड़ों की गणना एकाधिक बार की गई थी। ऐसी विसंगतियों का पता चलने के बाद सॉफ्टवेयर में संशोधन हेतु सुधारात्मक कदम उठाए गए और अप्रैल, 2011 से संपूर्ण आंकड़ों में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बाद अप्रैल, 2011 से अक्टूबर, 2011 के अनंतिम निर्यात आंकड़े 179.78 बिलियन अम.डॉ. से 5.2% घटकर 170.37 बिलियन अम.डॉ. रह गए थे।

(ग) से (च) केवल निर्यात में वृद्धि से ही काले धन का सृजन नहीं होता है जब तक कि बीजक से अधिक मूल्य न लगाया गया हो। जब भी ऐसी किसी आय जिसका कोई लेखा-जोखा न हो अथवा जिसे प्रकट न किया गया हो, से संबंधित सूचना मिलती है, तब ऐसी सूचना की जांच की जाती है और प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे कराधीन लाए जाने संबंधी कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) द्वारा प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी किसी भी आय जिसका कोई लेखा-जोखा न हो अथवा जिसे प्रकट न किया गया हो, को कराधीन किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाती है। समुचित मामलों में जुर्माने संबंधी तथा कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोनों से विद्युत

7263. श्री बाल कुमार पटेल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तीव्र औद्योगिकीकरण योजना को पर्यावरणीय अनुकूल बनाने के प्रयासों में सभी विशेष आर्थिक जोनों को अपनी प्रकाश आवश्यकताओं का कम से कम एक चौथाई सौर ऊर्जा से पूरा करना अनिवार्य बनाया है;

2009	79	79	-
2010	57	52	5
2011	33	27	6
	169	158	11

	2007-08			2008-09			2009-10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90342	51490	38853	105963	52047	53916	95759	60033	35726
	11349	9258	2091	10894	9425	1469	11859	9342	2517
	10014	11514	-1500	11310	12820	-1509	11177	11934	-757
	1639	1044	595	1422	1130	292	1603	1286	317
	331	376	-45	389	793	-404	440	526	-86
	67010	29298	37712	81948	27878	54070	70680	36945	33735
	40300	3358	36942	46300	2564	43736	49705	1469	48236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16772	16553	219	18603	15317	3286	11368	18049	-6681
	3217	3133	84	4428	2958	1470	3736	4643	-907
	2408	860	1548	2298	1087	1211	1229	1355	-126

1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	131972	84308	47664	103018	58738	44280	138162	81900	56262
	15275	11232	4043	13000	10525	2457			
	14277	13880	397	13332	12071	1262			
	1949	1400	549	1983	1161	823			
	534	820	-286	431	566	-135			
	99937	56976	42961	74272	34416	39856			
	59001	2195	56806	45013	927	44086			
	24049	27871	-3822	16813	19520	-2706			
	6508	7483	-975	4456	5997	-1541			
	1562	1152	410	1206	1052	153			

	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5
	12.23	12.54	13.04	12.43
	31.01	35.01	33.38	41.79
	54.25	56.03	57.01	46.01

1	2	3	4	5
	67.42	68.04	65.50	63.91
	14.96	11.01	10.70	11.50
	55.71	61.46	61.06	57.49
	28.10	25.73	23.79	22.01
	20.09	17.87	17.43	15.23
	32.94	31.55	35.53	36.69
	39.00	50.02	48.85	41.68
	56.19	54.59	54.54	51.88
	65.75	64.31	60.76	57.29
	82.50	81.88	79.50	72.23
	560.15	570.03	561.09	530.53

		2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.		230.91	205.54	152.81	147.60
2.		14.87	12.51	10.42	11.61
3.		14.58	13.90	11.91	12.82
4.		1.62	1.17	0.90	0.89
5.		3.09	8.55	4.97	8.90
6.		0.06	0.12	0.12	0.10
7.		4.71	1.31	0.05	0.01
8.		43.26	43.69	29.73	19.29

1	2	3	4	5
9.	0.33	0.42	0.29	0.10
10.	1.35	1.65	2.00	2.16
	314.78	288.86	213.20	203.48

‘ ,

‘ ,

‘ ,

“ ‘ ,

”

3.	2008-09	93.00
4.	2010-11	30.00
	2011-12	240.00

1	2	3
1.		1500
2.		1000
3.		50
4.		100
5.		300
6.		
7.		200
8.		100
9.		200
10.		500
11.		100
12.		150
13.		100
14.		50
15.		200

1	2	3
16.		100
17.		150
18.		50
19.		50
20.		100

1	2	3
21.		100
22.		50
23.		150
		5300

()

		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		10	0	0	0	19.6695	29.6695
2.		111	273	0	5247.62	1064.78	6696.4
3.		0	0	105	358.78	691.35	1155.13
4.		20	0	0	7.19	0	27.19
5.		33	0	114	123.17	324.81	594.98
6.		0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	11.08	114.675	125.755
9.		0	30	0	7.97	0	37.97
10.		0	55	42	357.17	278.31	732.48
11.		54	0	0	124.92	175.725	354.645
12.		18	100	115	136.19	192.64	561.83
13.		0	0	0	1020	83.175	1103.175
14.		55	0	0	182.82	224.4	462.22
15.		318	0	0	1535.39	1030.2	2883.59

1	2	3	4	5	6	7	8
16.		0	200	0	67	207.28	474.28
17.		0	0	0	0	0	0
18.		30	135	0	362.94	448.95	976.89
19.		156	418	350	614.46	807.675	2346.135
20.		75	0	0	546.75	306.75	928.5
21.		0	40	0	0	10.235	50.235
22.		0	70	225	143.25	202.125	640.375
23.		0	90	0	39	0	129
24.		174	0	0	437.07	518.1	1129.17
25.		0	321	0	985.32	1386	2692.32
26.		0	66.5	0	79.6	100.35	246.45
27.		150	0	0	527.12	1338.15	2015.27
		1204	1798.5	951	12914.81	9525.3495	24230.3845

		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		6	0	30	0.49	13.24	49.73
2.		36	0	40	502.24	77.82	656.06
3.		0	0	0	0	56.65	56.65
4.		0	0	0	25.83	25.87	51.7
5.		0	30	0	0	10.685	40.685
6.		0	16	0	28.39	13.76	58.15
7.		3	0	0	8.01	2	13.01
8.		0	0	20	33.8	47.7	101.5
		45	46	90	598.76	247.725	1012.275

()

1.	526.55	0.00
2.	3159.30	376.77
3.	3685.85	1881.12
4.	5265.50	1669.00
5.	526.55	287.07
6.	1053.10	570.44
7.	2632.75	1472.61
8.	526.55	298.96
9.	526.55	286.22
	17902.70	6842.19

()

			05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		800	65.06	36.75	308.88	124.95	63.26	798.53
2.		320	5.08	24.45	80.16	79.67	29.99	292.47
3.		160	0	39.05	25.45	0	12.165	102.22
4.		640	42.78	184.59	246.38	6.25	0	640.22
5.		160	13.12	34.4	25.6	39.89	0	150.68
6.		320	5.57	27.2	129.1	77.69	0	319.41
7.		1280	92.36	387.68	333.58	99.21	47.13	1279.95
8.		800	47.55	158.36	218.41	168.64	0	790.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.		480	39	49.8	157.85	90.54	0	449.59
10.		160	7.49	27.21	7.49	65.88	10.98	158.73
11.		960	51.95	216.4	113.81	337.83	0	959.99
12.		800	56.55	106.65	162.82	65.32	182.226	764.75
13.		1280	92.3	473.71	272.46	120.6	0	1278.76
14.		1920	152.75	580.27	361.11	345.94	0	1920.00
15.		320	11.26	88.65	18.68	96.7875	24.6225	320.00
16.		1280	72.87	110.73	181.33	174.54	419.9075	1279.17
17.		160	0	14.1	3.41	16.03	40	98.05
18.		800	36.98	168.48	69.07	24.05	99.55	530.84
19.		800	52.49	106.25	344.965	7.28	87.22	797.61
20.		480	23.19	30.58	30	68.86	34.43	249.41
21.		1600	121.9	283.13	328.17	441.155	25.64	1599.99
22.		480	11.51	70.28	135.66	104.8075	34.66	475.89
		0		16.93			0	
		16000	1001.76	3243.61	3554.385	2555.92	1111.781	15256.661

()

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		8727.93	2197.00	1572.27	552.73	878.67	40.42	4349.12	
2.		237.68	0.00	0.00	36.30	37.00	49.71	132.86	
3.		219.09	50.00	49.00	52.88	12.11	2.86	164.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.		2529.13	557.00	35.00	763.00	279.62	11.98		1496.98
5.		2743.33	724.00	322.57		166.12	315.83		684.29
6.		5135.94	518.00	590.00	1309.80	574.02	131.41		2870.05
7.		203.92	0.00		0.00	40.00	68.48		132.17
8.		954.47	253.00	190.28	22.50	38.22	15.39		467.45
9.		2477.32	307.00	597.00	99.00	509.44	49.90		1774.21
10.		11515.43	2459.00	2755.79	743.21	959.11	934.70		9497.14
11.		5196.55	1141.00	381.00	635.00	649.72	531.83		4270.98
12.		3409.76	1203.00	350.00	429.00	288.74	22.88		2975.97
13.		2266.97	385.00	264.00	0.00	378.00	33.05		1038.17
14.		1093.88	134.00	255.08	53.00	261.10	59.48		671.35
15.		11131.62	1478.00	2737.00	1563.59	1170.32	477.62		8403.16
16.		2431.69	353.00	351.00	351.34	284.53	363.19		1857.45
17.		76.68	0.00	0.00	19.20	4.80	1.18		20.13
18.		7925.92	887.00	2163.25	874.65	831.16	542.68		7030.93
19.		29602.24	2568.00	4698.55	6377.06	4712.14	2219.21		26942.44
20.		411.59	99.00	107.00	32.11	41.92	3.58		290.29
21.		309.09	0.00		33.00	165.51	2.86		36.42
22.		262.68	118.00	9.00	22.00	27.54	0.88		146.15
23.		269.33	0.00	48.00	77.00	97.79	10.07		241.31
24.		3339.01	681.80	28.00	713.58	364.63	325.75		2349.80
25.		224.83	61.00	9.00	53.40	5.37	13.02		130.33
26.		9690.67	1821.00	1266.00	1079.00	1561.63	30.17		5994.01
27.		2934.34	1098.00	51.00		200.83	216.03		1620.11
28.		231.42	138.00	9.00	41.20	11.59	6.59		239.15
29.		5637.06	380.00	166.00	654.43	1567.73	207.13		3550.57
30.		372.83	35.00	130.24	113.47	34.81	7.98		348.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.		5532.18	1615.00	1067.00	673.80	311.10	102.59		4509.65
32.		2541.38	383.00	51.00		825.57	220.18		1832.82
33.		3132.41	448.00	164.10	625.52	478.18	179.14		2097.25
		132768.36	22097.85	20437.00	18002.08	17769.03	7198.37		98166.07

“ ”

1	2	3	4
1.		152.50	152.50
2.		2.50	2.50
3.		190.00	190.00
4.		80.00	80.00
5.		2.50	2.50
6.		2.50	2.50
7.		10.00	10.00
8.		5.00	5.00
9.		17.50	17.50
10.		82.50	82.50
11.		65.00	65.00
12.		190.00	190.00
13.		10.00	10.00
14.		17.50	17.50

1	2	3	4
15.		132.50	130.00
16.		87.50	85.00
17.		275.00	262.50
18.		37.50	35.00
19.		75.00	70.00
20.		247.50	227.50
21.		692.50	625.00
22.		50.00	42.50
23.		42.50	32.50
24.		245.00	185.00
25.		30.00	22.50
26.		145.00	105.00
27.		400.00	287.50
28.		157.50	107.50
29.		32.50	20.00
30.		7.50	2.50
31.		0.00	0.00
32.		0.00	0.00
33.		0.00	0.00
34.		5.00	0.00
35.		0.00	0.00
		3490.00	3067.50

	2011	2012	
1.	38	22	60
2.	38	21	59
3.	59	67	126
4.	26	0	26
	161	110	271

औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों से संबंधित गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सभी संबंधित आंकड़ा स्रोत एजेंसियों से मासिक उत्पादन आंकड़ें देने के लिए समय-सीमा का पालन करने का भी अनुरोध किया है ताकि आई.आई.पी. जारी करने से पहले आंकड़ों की अभिपुष्टि की जा सके। सी.एस.ओ. में आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली है। स्रोत एजेंसियों से प्राप्त उत्पादन आंकड़ों की सी.एस.ओ. द्वारा आई.आई.पी. जारी करने से पहले कुछ प्रमाणिकता जांच की जाती है। पिछले माह के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में एक माह के लिए उत्पादन आंकड़ों की भिन्नता 20 प्रतिशत से अधिक होने अथवा पिछले वर्ष के उसी माह के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में किसी माह के लिए उत्पादन आंकड़ों की भिन्नता 30 प्रतिशत से अधिक होने के मामले में, इस प्रकार के मामले पुष्टि के लिए स्रोत एजेंसियों को वापस भेजे जाते हैं।

(ड) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार औद्योगिक वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका: 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष वार आई.आई.पी. वृद्धि दर

वर्ष	आई.आई.पी.
2007-08	15.5
2008-09	2.5
2009-10	5.3
2010-11	8.2
2011-12	2.8

उर्जा उद्योग तथा खनिज क्षेत्रों के लिए 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 वार्षिक योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य को योजना आयोग द्वारा प्रदान किया गया योजना परिव्यय ब्योरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण

प्रत्येक राज्य का योजना परिव्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12		
		ऊर्जा	उद्योग और खनिज	कुल 2009-10	ऊर्जा	उद्योग और खनिज	कुल 2010-11	ऊर्जा	उद्योग और खनिज	कुल 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	17206	77478	3349675	49006	73474	3680000	65593	63244	4300000
2.	अरुणाचल प्रदेश	22180	850	210000	31000	2086	250000	22464	1562	320000
3.	असम	17274	14063	600000	38949	22639	764500	50497	14674	900000
4.	बिहार	86445	46222	1600000	168223	47245	2000000	168223	47245	2400000
5.	छत्तीसगढ़	21180	22055	1094776	26129	18967	1323000	28690	25661	1671027
6.	गोवा	15792	3920	224000	18183	3983	271000	20330	14402	332000
7.	गुजरात	93550	75224	2350000	196991	104582	3000000	201901	118158	3800000
8.	हरियाणा	140181	5753	1000000	549067	126495	1826000	163680	5660	2035800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.		35486	2136	270000	35437	2727	3000000	46160	2702	330000
10.		52043	9312	550000	45179	11220	600000	47800	15140	660000
11.		72500	11600	820000	77047	13200	924000	160000	19400	1532275
12.		363012	82606	2950005	336464	96153	3105003	440658	65785	3807002
13.		97506	27932	892000	104700	56737	1002500	112300	46628	1201000
14.		135097	16759	1617417	165224	31516	1900000	198791	37117	2300000
15.		247945	14988	3595894	274092	22294	3791602	304636	30235	4200000
16.		17350	9192	200000	13630	10114	260000	14608	4909	321000
17.		55240	3390	210000	60981	4850	223000	56632	4540	272700
18.		6911	1760	125000	7411	3675	150000	9125	2765	170000
19.		7418	4243	150000	5791	4711	150000	6100	4464	181000
20.		197342	3835	950000	146229	7480	1100000	251050	9010	1520000
21.		259675	890	860000	330270	3180	915000	331166	5812	1152000
22.		748397	14010	1732200	1243400	14943	2400000	1206700	17850	2750000
23.		5048	1359	104500	5858	3324	117500	2554	715	140000
24.		252757	59687	1750000	272428	76486	2006800	206779	31599	2353499
25.		3101	4953	168000	6789	3137	186000	3396	3196	195000
26.		562891	341429	3900000	431359	451728	4200000	403724	423557	4700000
27.		46648	2044	580081	42713	2461	680000	40396	2828	780000
28.		189390	69326	1415000	155693	85332	1798500	168857	81116	2221400
		3769564	927017	33268548	4838243	1304737	38924405	4732810	1099973	46545703
1.		4420	550	83318	4469	647	95838	6890	669	143484
2.		1526	50	31922	2527	98	45091	4170	150	66189
3.		1867	69	15571	2775	190	19582	4758	242	33635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.		2229	1000	15434	2159	1070	16923	3699	518	32495
5.		46100	4700	1000000	11080	2400	1140000	250900	2490	1513301
6.		3148	167	29686	1200	200	32200	2550	300	38879
7.		14957	13207	225000	12960	11600	250000	15515	9904	275000
		74247	19743	1400931	37170	16205	1599634	288482	14273	2102983
		3843811	946760	34669479	4875413	1320942	40524039	5021292	1114245	48648686

()

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-10	75.00	65.84	60.62	59.34	3.25	218.55	96.3@	117.37
2010-11	80.36	70.67	68.62	66.42	3.64	208.00*	111.4#*	97.66*
2011-12	89.29	73.79	73.42*^	70.92*^	4.04*^	127.7*	116.3#*	55.76*

()

2009-10		12.84	13.51	9.70	2.91	3.21	2.96
2010-11		12.84	13.76	10.32	2.91	3.24	2.93
2011-12		13.01	13.35	9.55	2.91	3.13	2.83

()

		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		33.58	33.58	67.16	67.16	67.16	268.64
2.		90.98	90.98	181.96	181.96	181.96	727.84
3.		23.08	23.08	46.16	46.16	46.16	184.64
4.		4.80	4.80	9.60	9.60	9.60	38.40
5.		51.39	51.39	102.78	102.78	102.78	411.12
6.		4.61	4.61	9.22	9.22	9.22	36.88
7.		10.24	10.24	20.48	20.48	20.48	81.92
8.		1.10	1.10	2.20	2.20	2.20	8.80
9.		12.58	12.58	25.16	25.16	25.16	100.64
10.		16.63	16.63	33.26	33.26	33.26	133.04
11.		18.93	18.93	37.86	37.86	37.86	151.44
12.		27.63	27.63	55.26	55.26	55.26	221.04
13.		16.94	16.94	33.88	33.88	33.88	135.52
14.		61.29	61.29	122.58	122.58	122.58	490.32
15.		38.70	38.70	77.40	77.40	77.40	309.60
16.		18.79	18.79	37.58	37.58	37.58	150.32
17.		21.01	21.01	42.02	42.02	42.02	168.08
18.		21.40	21.40	42.80	42.80	42.80	171.20
19.		17.32	17.32	34.64	34.64	34.64	138.56
20.		41.37	41.37	82.74	82.74	82.74	330.96

1	2	3	4	5	6	7	8
21.		1.15	1.15	2.30	2.30	2.30	9.20
22.		11.04	11.04	22.08	22.08	22.08	88.32
23.		5.07	5.07	10.14	10.14	10.14	40.56
24.		17.81	17.81	35.62	35.62	35.62	142.48
25.		11.94	11.94	23.88	23.88	23.88	95.52
26.		10.06	10.06	20.12	20.12	20.12	80.48
27.		25.68	25.68	51.36	51.36	51.36	205.44
28.		9.88	9.88	19.76	19.76	19.76	79.04
		625.00	625.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00

(क) क्या सरकार सामुद्रिक प्रदूषण की घटनाओं के लिए उत्तरदायी लोगों पर मुकदमा चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न देयता बीमा अधिनियम में सामुद्रिक प्रदूषण के पीड़ितों के लिए प्रतिपूर्ति का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में सामुद्रिक प्रदूषण की घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके लिए सामुद्रिक प्रदूषण की विशिष्ट घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों/जलयानों की उचित रूप से पहचान करना अपेक्षित है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की है और समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई की है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूचनानुसार, उसके द्वारा सामुद्रिक प्रदूषण की घटनाओं के लिए उत्तरदायी किसी अभिकरण पर मुकदमा नहीं चलाया गया है।

(ग) और (घ) जन देयता बीमा अधिनियम, 1991 में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित खतरनाक रसायनों के हथालन के दौरान घटने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को "बिना दोष आधार" पर तत्काल राहत देने हेतु प्रावधान हैं। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित मात्रा में खतरनाक पदार्थों के संचालन या प्रक्रिया में शामिल उद्योगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पीड़ित या संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित पैमाने पर तत्काल राहत हेतु जन देयता बीमा कवर की व्यवस्था करें। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल मजदूर से भिन्न व्यक्तियों की मृत्यु अथवा उन्हें चोट लगने और निजी संपत्तियों की क्षति के मामले शामिल हैं। मृत्यु अथवा चोट लगने के मामले में अधिकतम राहत 25,000/- रुपए हैं, जो कि अधिकतम 12500 रुपए के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त है। निजी संपत्ति की क्षति होने पर अधिकतम राहत 6,000/- रुपए है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 में भी उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है जिन्हें भारत के अनन्य आर्थिक जोन तक भारतीय समुद्र में तेल टैंकरों से होने वाले तेल रिसाव के परिणामस्वरूप क्षति होती है।

पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों

के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया है जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार के प्रवर्तन और व्यक्तियों एवं संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करने और पर्यावरण का पुनरुद्धार करने विषयक प्रावधान हैं।

[हिन्दी]

दलितों के विरुद्ध अत्याचार

7326. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 में संशोधन करने तथा इसे और कठोर तथा सख्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन के संबंध में संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संबंधित एजेंसियों से सुविचारित राय मांगी है।

(ग) इस समय कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

1965 के युद्ध-वीर

7327. श्री पी.टी. थॉमस: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में लड़ने वाले कई युद्ध-वीर अभी भी पेंशन से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन युद्ध-वीरों के साथ न्याय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):

1	2	3
5.		173
6.		262
7.		33
8.		350
9.		53
10.		42
11.		34
12.		1030
13.		36
14.		14
15.		19
16.		93
17.		127
18.		177
19.		30
20.		58
21.		376
		<hr/>
		3470
		<hr/>

“ ”

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विविधीकरण योजना के भाग के रूप में एम.एम.टी.सी. ने मेडेलियन विनिर्माण एवं स्वर्ण/चांदी प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की है।

(ख) एम.एम.टी.सी. ने पी.ए.एम.पी. एस.ए. स्विट्जरलैंड के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित किया है (एम.एम.टी.सी.-पी.ए.एम.पी. इंडिया प्रा.लि.)। प्रसंस्करण संयंत्र रोज का मियो इंडस्ट्रियल एस्टेट (हरियाणा) में अवस्थित है। परियोजना की कुल लागत 224.20 करोड़ रु. है।

(ग) परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद एकीकृत मेडेलियन विनिर्माण एवं बुलियन प्रसंस्करण संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र होगा।

(घ) वर्तमान चरण में संयंत्र की वार्षिक प्रति वर्ष क्षमता 100 मी. टन स्वर्ण तथा 600 मी. टन चांदी के प्रसंस्करण की है। आगामी वर्षों में प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाकर 200 मी.टन स्वर्ण तथा 1200 मी.टन चांदी प्रति वर्ष की जा सकती है।

कामगारों का बकाया

7338. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों से उत्पन्न सांविधिक बकायों को जमा करने और भुगतान करने के मामले में विभिन्न कंपनियों और अन्य कानूनी सत्ताओं द्वारा

की गई चूक का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में कामगारों और कर्मचारियों की हिस्सेदारी को जमा करने में चूक की है; और

(घ) ऐसी दोषी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ताकि ऐसे कामगारों के हितों की रक्षा हो?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) जी, हां। जब कभी श्रम कानूनों को प्रवृत्त करने वाली एजेंसियों द्वारा ऐसी चूक का पता लगाया जाता है, तो चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध ऐसे अधिनियम के अंतर्गत यथादिष्ट कार्रवाई की जाती है।

(ग) पिछले 3 वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि में कामगारों और कर्मचारियों की हिस्सेदारी को जमा करवाने में चूक करने वाली कंपनियों का राज्यवार/कार्यालयवार ब्यौरा सलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(घ) कामगारों के हितों की संरक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत ऐसी चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें शुरू की गई हैं। पिछले 3 वर्ष के दौरान दायर ऐसी शिकायतों का ब्यौरा विवरण-11 में दिया गया है।

विवरण-1

कामगारों/कर्मचारियों की हिस्सेदारी में चूक बरतने वाले प्रतिष्ठान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य		2009-10		2010-11		2011-12	
			चूककर्ता प्रतिष्ठान	चूक की राशि	चूककर्ता प्रतिष्ठान	चूक की राशि	चूककर्ता प्रतिष्ठान	चूक की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद+एस.आर.ओ.	1	5.61	11	68.81	12	49.59
		निजामाबाद	25	16.65	3	0.78	33	5.37
		करीमनगर	109	48.27	54	10.42	100	21.26

होकर गुजरता है, को पर्यावरणिक मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मंजूरी को कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) मंत्रालय को निजामाबाद से जगदलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-16 का प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार नए राष्ट्रीय राजमार्गों और 30 किलोमीटर लंबाई से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार, जिसमें 20 मीटर से अधिक मार्ग का अतिरिक्त अधिकार अंतर्ग्रस्त हो, जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण जरूरी हो, के लिए ही केंद्र सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी जरूरी होती है।

कानपुर स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो का आधुनिकीकरण

7346. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कानपुर स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो और उसकी कार्यशाला के आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन हेतु पर्याप्त धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्तरोन्नयन-कार्य में निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन/किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) केन्द्रीय आयुध डिपो का आधुनिकीकरण 31-3-2009 को पूरा हुआ था। आधुनिकीकरण के बाद, डिपो में आधुनिक वेयरहाउस, सुरक्षा तथा अग्निशमन अवसंरचना की सुविधा हो गई है। दक्ष कार्यप्रणाली के लिए स्वचालित/यंत्रिकृत भण्डारण तथा उपयोजन प्रणाली सहित आधुनिक सामग्री रख-रखाव उपकरणों को संस्थापित किया गया है। उन्नयन कार्य में किसी प्रकार की अनियमितताओं अथवा निर्धारित नियमों के किसी उल्लंघन की कोई रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

रक्षा विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

7347. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के कई मामले देश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतिक्रमण रोकने/हटाने और भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। रक्षा भूमि के अतिक्रमण के संबंध में देश के विभिन्न न्यायालयों में 924 अदालती मामले लंबित हैं।

(ग) अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 तथा छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। मंत्रालय ने इस संबंध में सतर्कता बरतना, नए अतिक्रमणों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। अतिक्रमणों पर पता लगाना तथा उन्हें हटाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

छोटे हथियारों का विनिर्माण

7348. श्री भूदेव चौधरी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छोटे हथियारों का विनिर्माण करने वाली आयुध-निर्माणियों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त आयुध-निर्माणियों में इन हथियारों का वार्षिक उत्पादन औसतन कितना है;

(ग) क्या उक्त हथियारों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):

(क) आयुध निर्माणी बोर्ड के अधीन निम्नलिखित आयुध-निर्माणियों में छोटे हथियारों का विनिर्माण किया जा रहा है:

(i) राइफल निर्माणी, ईशापुर - 5.56 मि.मी. इनसास राइफल, 9 मि.मी. पिस्टल ऑटो एवं स्पोर्टिंग हथियारों जैसे .315' स्पोर्टिंग राइफल, .22' स्पोर्टिंग राइफल एवं .22' रिवाल्वर इत्यादि।

(ii) लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर - 5.56 मि.मी. इनसास राइफल, 5.56 मि.मी. इनसास एल.एम.जी., 9 मि.मी. कार्बाइन, 7.62 मि.मी. एम.एम.जी. और .32ड रिवाल्वर इत्यादि।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों के सहायतानुदान में कमी

7350. श्री समीर भुजबल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों को देश की पर्यावरणीय परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन योजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों के चयन के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त योजनाओं का ब्योरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई;

(घ) क्या सरकार का गैर-सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले सहायतानुदान को अगले वित्त वर्ष से कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यातकों हेतु वित्तीय पैकेज

7351. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यातकों को उनका वाणिज्य-व्यापार बढ़ाने हेतु वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निर्यातकों को वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने के बावजूद विदेश व्यापार में काफी घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत सरकार

द्वारा वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों की लगातार निगरानी की जाती है और समय-समय पर आवश्यकता - आधारित उपाय किए जाते हैं। सरकार ने हाल में विशेष बोनस लाभ स्कीम, विशेष फोकस बाजार स्कीम जैसी स्कीमों की घोषणा की है और इंजीनियरी, रसायन/भेषज, वस्त्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मर्चों पर विशेष बल के साथ फोकस उत्पाद स्कीम लाभ हेतु पात्र मर्चों की सूची में वृद्धि की है। सरकार ने फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत दो नए बाजारों अर्थात् क्यूबा और मैक्सिको को भी शामिल किया है। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत शुल्क ऋण स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित किसी भी व्यवसाय में लाभ या घाटा असाधारण घटना नहीं होती है। हमारे निर्यातों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा अधिक बाजार हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन पैकेजों को अनुमोदित किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी

7352. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंधित कुछ परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा ऐसे राजमार्गों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक मंजूरी किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पूर्वोत्तर से राष्ट्रीय राजमार्गों की कोई परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित नहीं है।

दो-लेन वाली राजमार्ग परियोजनाएं

7353. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में दो-लेन वाली महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्य को अपर्याप्त वित्त आबंटन की वजह से धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो अपर्याप्त धनराशि की वजह से

प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टसर-सिल्क की मांग

7360. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

श्री आर. धुवनारायण:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व-बाजार में भारतीय टसर-सिल्क की मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टसर-सिल्क के व्यापार में भारत की कितनी हिस्सेदारी है;

(ग) टसर-सिल्क का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के विकास पर सरकार ने कितनी राशि व्यय की;

(ङ) क्या सरकार को कर्नाटक में रेशमकीट-पालकों के संरक्षण हेतु रेशम-उद्योग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनवाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत में टसर रेशम का उत्पादन, इसकी अच्छी वैश्विक एवं घरेलू मांग दर्शाते हुए कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्षों में टसर रेशम का अनुमानित वैश्विक उत्पादन और भारत में उत्पादित टसर रेशम का हिस्सा नीचे दिया गया है:

वर्ष	वैश्विक टसर उत्पादन (एम.टी.)*	भारत से उत्पादन (एम.टी.)**	भारत का हिस्सा (%)
2008-09	28063	603	2.1
2009-10	21166	803	3.8
2010-11	23577	1166	4.9

(ग) सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) के माध्यम से देश में टसर रेशम के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) के अधीन टसर रेशम कीट बीज उत्पादन, सिस्टेमेटिक पौधरोपण, रियरिंग कार्यक्रमलापों, रिलींग एवं उत्पादों के विपणन के लिए सहायता दी जा रही है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड टसर कृषि के लिए विकासात्मक परियोजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है। टसर रेशम सहित वान्य रेशम के लिए इनका घरेलू तथा निर्यात बाजारों में 'ग्रीन सिल्क' तथा 'आर्गेनिक सिल्क' के रूप में संवर्द्धन किया जा रहा है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा टसर क्षेत्र के विकास के लिए किया गया व्यय नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2009-10	10.04
2010-11	23.41
2011-12	24.49

(ङ) और (च) कर्नाटक सरकार ने शहतूती रेशम उत्पादन की सुरक्षा हेतु उपायों तथा कोया के मूल्य उत्पादन की लागत से नीचे गिर जाने की स्थिति में कृषकों के लिए वित्तीय सहायता तंत्र के लिए कहा है।

सरकार ने शहतूती रेशम उत्पादन की सुरक्षा की दृष्टि से कोया और कच्ची रेशम की उत्पादकता में वृद्धि करने और इससे रेशम उत्पादन को लाभप्रद बनाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया है। सरकार ने, परपोषी पादप तथा रेशम कीट बीजों की जोरदार किस्में विकसित करने के लिए रेशम उत्पादन में अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं। सी.एस.बी., राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के लिए एक पैकेज मोड में केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम' (सी.डी.पी.) को भी कार्यान्वित कर रहा है। सी.डी.पी. के अधीन अच्छी गुणवत्ता के द्विप्रज रेशम यार्न के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जाता है। राज्यों को, रेशम की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी अंतरण एवं समावेशन के लिए कृषकों को विस्तार सहायता

1	2	3
9.		7222
10.		7216, 7227
11.		7228
12.		7206
13.		7192, 7207, 7294, 7300
14.		7276
15.		7295
16.		7147, 7266
17.		7280
18.		7141, 7223, 7285, 7286
19.		7171, 7297
20.		7261
21.		7251
22.		7203, 7233, 7284, 7355
23.		7287
24.		7003, 7233, 7284, 7355
25.		7219, 7291, 7292, 7293, 7358
26.		7227, 7350
27.		7269
28.		7150, 7307

1	2	3
29.		7149, 7166
30.		7145, 7295
31.		7192, 7228, 7248
32.		7202, 7270
33.		7167, 7351
34.		7225
35.		7217, 7226, 7348
36.		7210
37.		7186, 7290, 7324
38.		7210
39.		7211, 7347
40.		7271, 7334
41.		7235, 7290, 7356
42.		7224, 7346
43.		7160, 7334, 7354
44.		7155
45.		7162, 7311, 7313, 7360
46.		7257
47.		7219, 7268, 7300

1	2	3
48.		7288
49.		7219, 7291, 7292, 7293, 7358
50.		7342
51.		7265
52.		7246
53.		7272, 7343
54.		7141, 7157, 7206, 7223, 7285
55.		7210, 7259
56.		7173, 7229, 7295
57.		7206, 7289
58.		7132, 7302
59.		7254
60.		7195
61.		7206, 7217, 7296
62.		7244
63.		7221
64.		7210
65.		7196

1	2	3
66.		7142, 7304
67.		7135, 7316
68.		7181
69.		7159, 7234, 7310
70.		7290
71.		7219, 7247
72.		7215, 7345
73.		7200, 7332
74.		7138, 7329
75.		7158
76.		7139, 7325
77.		7204
78.		7148, 7224
79.		7174
80.		7215, 7243, 7279
81.		7143, 7256
82.		7156, 7242, 7295, 7309
83.		7297
84.		7209, 7337
85.		7213
86.		7262
87.		7149

1	2	3
88.		7234, 7239
89.		7281, 7297
90.		7252
91.		7336
92.		7238
93.		7170, 7305
94.		7194, 7198, 7340
95.		7214
96.		7212, 7333
97.		7315
98.		7219, 7291, 7292, 7293, 7358
99.		7131
100.		7237
101.		7195
102.		7263
103.		7215, 7243, 7279
104.		7203, 7234, 7239, 7284
105.		7294
106.		7288
107.		7195, 7202, 7254, 7332

1	2	3
108.		7219, 7291, 7292, 7293, 7358
109.		7184, 7224, 7322
110.		7134, 7226, 7235, 7236, 7283
111.		7194, 7228, 7299
112.		7232
113.		7250
114.		7241, 7303
115.		7189, 7326
116.		7235, 7236, 7357
117.		7343
118.		7205
119.		7219
120.		7278
121.		7224
122.		7182, 7215
123.		7339
124.		7137, 7297, 7298, 7311
125.		7203, 7233, 7284, 7355

1	2	3
126.		7153, 7275, 7308
127.		7195, 7218
128.		7151, 7220
129.		7133, 7165
130.		7136, 7330
131.		7275, 7295
132.		7188, 7308, 7315
133.		7174
134.		7255
135.		7228, 7229, 7334
136.		7140, 7319
137.		7177, 7272, 7335
138.		7169, 7229, 7260, 7300, 7318
139.		7157, 7206, 7223, 7285, 7286
140.		7163, 7194, 7314
141.		7274

1	2	3
142.		7344
143.		7170, 7359
144.		7152
145.		7208
146.		7164, 7297, 7315
147.		7183
148.		7269
149.		7202, 7273
150.		7299
151.		7176, 7304, 7320
152.		7179
153.		7264
154.		7206, 7228
155.		7282
156.		7191
157.		7201, 7349
158.		7192
159.		7258
160.		7144
161.		7161
162.		7300
163.		7277
164.		7331

1	2	3
165.		7208
166.		7232
167.		7231
168.		7242
169.		7217, 7296
170.		7206, 7289
171.		7178
172.		7192, 7248
173.		7236, 7298
174.		7195, 7267
175.		7175
176.		7185, 7323
177.		7239, 7260
178.		7154, 7328, 7335
179.		7190, 7351
180.		7220, 7228
181.		7230
182.		7312
183.		7168, 7297, 7298, 7300, 7317
184.		7341
185.		7327

1	2	3
186.		7143, 7199, 7256
187.		7338
188.		7146, 7352
189.		7290, 7295
190.		7141, 7157, 7206, 7223, 7286
191.		7228, 7354
192.		7283
193.		7229
194.		7157, 7206, 7223, 7285, 7286
195.		7240
196.		7199, 7360
197.		7288
198.		7160, 7173
199.		7147, 7229, 7245, 7290, 7306
200.		7193, 7229
201.		7253
202.		7184, 7197, 7322

- :
- :
- : 622, 626, 627
- : 621, 624, 632, 634, 636
- : 623, 628, 630, 633, 635, 637
- : 629, 638
- :
- :
- : 631, 639
- :
- :
- : 625, 640.
- :
- : 7131, 7136, 7138, 7145, 7162, 7169, 7188, 7192, 7193, 7199, 7206, 7210, 7220, 7226, 7227, 7232, 7235, 7236, 7242, 7262, 7263, 7268, 7270, 7279, 7282, 7293, 7295, 7296, 7297, 7307, 7312, 7318, 7321, 7334, 7337, 7349, 7351, 7357, 7358
- : 7135, 7140, 7141, 7142, 7148, 7150, 7154, 7157, 7159, 7163, 7170, 7186, 7207, 7208, 7214, 7215, 7216, 7240, 7249, 7260, 7266, 7267, 7273, 7278, 7285, 7298, 7299, 7304, 7308, 7310, 7313, 7314, 7320, 7322, 7327, 7333, 7335, 7339, 7340, 7341, 7343, 7346, 7347, 7348
- : 7133, 7134, 7143, 7144, 7164, 7165, 7168, 7171, 7172, 7174, 7178, 7179, 7180, 7183, 7189, 7190, 7191, 7195, 7197, 7198, 7201, 7202, 7203, 7205, 7209, 7219, 7223, 7225, 7229, 7231, 7239, 7243, 7245, 7250, 7252, 7254, 7257, 7259, 7264, 7271, 7272, 7274, 7277, 7281, 7284, 7286, 7287, 7301, 7306, 7309, 7311, 7317, 7319, 7323, 7325, 7329, 7330, 7331, 7332, 7336, 7342, 7344, 7345, 7350, 7352, 7355
- : 7151, 7153, 7155, 7158, 7161, 7167, 7173, 7182, 7184, 7200, 7213, 7217, 7247, 7248, 7275, 7280, 7328, 7338, 7356
- : 7132, 7137, 7139, 7146, 7149, 7156, 7176, 7185, 7187, 7194, 7196, 7204, 7211, 7212, 7222, 7224, 7233, 7234,

7238, 7241, 7244, 7251, 7253, 7255, 7256, 7258, 7261,
7276, 7289, 7291, 7300, 7302, 7303, 7305, 7316, 7324,
7353, 7354, 7359

: 7177, 7181, 7265, 7269, 7288, 7292, 7294

: 7152, 7160, 7166, 7175, 7218, 7221, 7246, 7326

: 7315

: 7147, 7228, 7230, 7237, 7283, 7290, 7360.
